शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक-03.09.2024

जनपदीय एस0ओ0जी, सर्विलांस सेल व थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बडी सफलता

जनपदीय एस0ओ0जी, सर्विलांस सेल व थाना सिंधौली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिधौली पर पंजीकृत अपहरण के मुकदमे का किया गया सफल अनावरण।

थाना क्षेत्र सिधौली जनपद शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित गाँव तिउलक के गौरव पुत्र संजीव उम्र करीब 05 वर्ष का अपहरण कर लेने के सम्बन्ध में **वादी मुकदमा संजीव की तहरीर सूचना के आधार** पर थाना हाजा पर **मु0अ0सं0-445/2024 धारा-115(2)/352/140(1) बीएनएस बनाम बाबूराम आदि 04 नफर नामजद व 04 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।**

अपराध की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत **अपहृत गौरव पुत्र संजीव** की बरामदगी व घटना का खुलासा हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीना द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया।

श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन एवं श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल नेतृत्व में जनपदीय एसओजी व सर्विलांस सेल टीम के सहयोग से प्रभारी निरीक्षक सिधौली व सिधौली पुलिस द्वारा **दिनांक-03.09.2024** को मुकदमा **वादी को निशा देही पर घटनास्थल खन्नौत नदी से एनडीआरएफ की मदद से मृत अवस्था में अपहृत गौरव पुत्र संजीव उम्र करीब 05 वर्ष को बरामद किया गया।** वादी मुकदमा संजीव पुत्र मिढईलाल निवासी ग्राम तिउलक थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर **दिनांक-02.09.2024 को मु0अ0सं0-445/2024 धारा-115(2)/352/140(1) बीएनएस बनाम बाबूराम आदि 04 नफर नामजद व 04 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था**, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिधौली द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आये कि मुकदमा वादी के लड़के गौरव उम्र करीब 05 वर्ष व गाँव के विवेक पुत्र बाबूराम के लड़के आयुष उम्र करीब 06 वर्ष के मध्य झगड़ा हो गया था,जिसकी शिकायत करने पर दोनों पक्षों के मध्य आपस में झगड़ा हुआ था। वादी मुकदमा द्वारा विपक्षीगण को फंसाने की नियत से अपने पुत्र गौरव को दवा दिलाने के बहाने से लाकर **दिनांक-02.09.2024 को समय करीब 20.00 बजे खन्नौत नदी की रेलिंग से धक्का दे दिया** तथा अपने घर आकर विपक्षीगण पर अपहरण कर झूठा आरोप लगाया गया तथा विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वादी मुकदमा संजीव के निशा देही पर स्वयं के पुत्र गौरव का शव बरामद होने तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि से मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 1.बाबूराम पुत्र दुलारे 2. विवेक 3. विशाल 4. रिंकू पुत्रगण बाबूराम निवासीगण ग्राम तिउलक थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर व 04 व्यक्ति अज्ञात की नामजदगी झूठी पायी गयी तथा धारा -115(2)/352)140(1) बीएनएस का अपराध होना नहीं पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में बाबूराम उपरोक्त नामित अभियुक्तगण व धारा-115(2)/352)140(1) बीएनएस को विवेचना से पृथक किया गया। **मुकदमा उपरोक्त में मुकदमा वादी संजीव उपरोक्त को अभियुक्त के रूप में प्रकाश में लाते हुए समय 12.40 बजे अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस में पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- संजीव कुमार पुत्र मिढईलाल निवासी ग्राम तिउलक थाना सिंधौली जनपद जनपद शाहजहाँपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 445/2024 धारा-103(1) बीएनएस।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0-445/2024 धारा-115(2)/352/140(1) बीएनएस बनाम बाबूराम आदि 04 नफर नामजद व 04 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बाबूराम उपरोक्त नामित अभियुक्तगण व धारा-115(2)/352)140(1) बीएनएस को विवेचना से पृथक किया गया। **मुकदमा उपरोक्त में मुकदमा वादी संजीव उपरोक्त को अभियुक्त के रूप में प्रकाश में लाते हुए समय 12.40 बजे अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस**

पूछताछ विवरण –

संजीव कुमार पुत्र मिढईलाल निवासी ग्राम तिउलक थाना सिंधौली जनपद जनपद शाहजहाँपुर से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरे ही गाँव के ही विवेक पुत्र बाबूराम के पुत्र आयुष उम्र करीब 06 बर्ष का झगडा मेरे पुत्र गौरव उम्र करीब 05 वर्ष से कुछ समय पूर्व हो गया था। जिसकी शिकायत करने मेरी पत्नी नन्ही देवी विवेक के घर गयी थी, तो विवेक की पत्नी प्रीति ने मेरी पत्नी नन्ही देवी के साथ गाली-गलौज की और मारपीट

की। यह बात मेरी पत्नी ने मुझे आकर बताई और मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी बहुत गाँव में बेइज्जती हो गयी है , इस पर मुझे भी बहुत बुरा लगा तभी मैंने यह सोच लिया कि जब तक विवेक व विवेक के परिवार वालों को जेल नहीं भेज दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा और मैनें विवेक व उसके परिजनों को जेल भेजने का मन बना लिया। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मेरा पुत्र गौरव जो मानसिक रूप से कुछ कमजोर है, मैं इसको मार कर के केस बना सकता हूँ। दिनाँक- 02.09.2024 को अपने और अपने पुत्र गौरव की दवाई दिलाने का बहाना करके मैं अपनी स्कूटी नं0 UP 27 L 7146 से समय करीब 06.00 बजे अपने पुत्र गौरव उम्र 05 वर्ष के साथ दवाई लेने के बहाने घर से लेकर **चिनौर** आया और चिनौर समय करीब 07.30 बजे डाक्टर खुशीराम के मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी बुखार की दवा ली और अपने पुत्र गौरव के लिए भी कुछ दवाई ली थी और दवाई लेकर मैं गाँव नियामतपुर होते हुए रिंग रोड पर आया और मैं खन्नौत नदी के तिउलक पुल पर आकर मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी और अपने पुत्र गौरव को पुल के किनारे रेलिंग पर बैठा दिया और मैंने पुत्र को पुल की रेलिंग से धक्का दे दिया, जिससे वह पानी में जा गिरा और मैं खन्नौत नदी पुल से स्कूटी लेकर अपने घर गया औऱ अपने घर जाकर **मैंने अपने परिजनों को बताया कि गाँव के बाबूराम पुत्र दुलारे तथा विवेक, विशाल, रिंकू पुत्रगण बाबूराम ने मेरे पुत्र गौरव का अपहरण कर ले जाने व अन्य चार व्यक्ति जो दो मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स से ले गये थे।** वह मैंने इसलिए बताया था कि मेरे गाँव व घर वाले विश्वास करेंगे और पुलिस भी इनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। मेरे पास घटना के समय मेरा मोबाइल नम्बर 7080832679 मेरे पास था। मेरी हत्या करने की प्लानिंग होने के कारण किसी को फोन नहीं किया औऱ न ही डायल 112 को फोन किया और न ही मैंने उक्त घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल पर कोई शोर मचाया था। मैंने घर जाकर बेहोश होने का ड्रामा किया था। जब मेरे परिजनों को यह विश्वास हो गया कि मेरे पुत्र का वास्तव में अपहरण हो गया है, तब मेरे भाई अमरेश ने अपने मोबाइल नम्बर से डायल-112 को फोन करके सूचना दी थी, फिर मैं अपनी पत्नी औऱ अपने परिजनों के साथ थाने आकर मुकदमा लिखाया था।

घटना का अनावरण/अभियुक्त को गिरफ्तार कराने वाली टीम का विवरणः-

एसओजी टीम

प्रभारी निरीक्षक रितेन्द्र प्रताप सिंह
हे0का0 दिलीप
हे0का0 रामसजीवन
हे0का0 तौसीम हैदर
हे0का0 विपिन
हे0का0 खालिद हुसैन
का0 कमल

सर्विलांस टीम

का0 शिवम
का0 प्रभात
का0 सचिन
का0 मुकुल खोखर

थाना सिधौली पुलिस टीम

(I) प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
(II) अपराध निरीक्षक राजेश कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
(III) उप निरीक्षक बलराज सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
(IV) उप निरीक्षक रवेन्द्र सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
(V) उप निरीक्षक अरुण कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
(VI) आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।
(VII) आरक्षी नितिन कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।

PS SINDHAULI